

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'बीस'

[6/12/2016]

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश संघ [क. 1194]

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्र.एफ-4/6/2002/नियम/चार

प्राप्ति.

गासन के समस्त विभाग,
अंधाख, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश एवालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

उपर्युक्त अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधावै एवं आत्मपूर्ति भत्ता स्वैकृत करने वालता।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.-17-01/96/चार/व-9 दिनांक 11-03-1996 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

१. अनुसूचित समिति को अनुशंसाओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 10-03-1996 द्वारा स्वैकृत अनुसूचित समिति विशेष भत्ते को दरों को निम्नानुसार पुनरोक्तिकरने का निर्णय लिया गया है-

अनुसूचित क्षेत्र भत्ता को दरें

वर्तन एवं	क्षेत्र वर्ग-1	क्षेत्र वर्ग-2	क्षेत्र वर्ग-3
नजद २५००	120	80	40
नजद २६०१ दू ३०००	130	120	60
नजद ३००१ दू ४६००	240	160	80
नजद ४८०१ दू ५९००	300	200	100
नजद ५९०१ दू १००	360	240	120
नजद १०१ दू १०,०००	450	300	150
नजद १०,००० तक ऊधक	600	400	200

इन आदर्शों के अनुसूचित क्षेत्र भत्ता स्वैकृत परिशिष्ट अ अनुसार बगोकृत विकास खण्डों में देय होंगा।

२. अनुसूचित क्षेत्र भत्ता के बहुत एसे अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवकों को प्राप्त होगा जो नगर नियम/नगर पालिका क्षेत्र से ५ किलोमीटर एवं नगर पंचायत क्षेत्र से ३ किलोमीटर की दूरी पर है।

३. अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना के लिये वेतन से तात्पर्य नवोन पुनरोक्तिकरने के बाद 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

४. अध्यादेश वेतन पुनरोक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी अनुसूचित क्षेत्र में जो भवति निर्धारित प्राप्तवार्षीय एवं शतांक अधोन होंगे। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोगन हेतु वेतनमान वेतनमान में बहुत वर्तन व वर्योक्ति के बाद (वटि हो, तो), जीसत पूल्य सूचकांक १५१० पर देय महारां भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.-17-03-96/चार/व-9 दिनांक 23-4-1996 अनुसार स्वैकृत किया गया है) एवं अंतरिम राहत को प्रथम एवं द्वितीय कियत (जो कि उन वेतन के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.-8/1/53/नि-2/चार दिनांक 20-10-1993 एवं आर 17/3/95/चार/व-9 दिनांक 11-8-1995 के अनुसार स्वैकृत को नहीं है) को गारंनिल किया जाना है।

५. ये आदेश दू.जो.जो. एवं र.आई.जो.टो.डे. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्तिकता नियि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तत्व के सदस्यों पर भी लागू होंगे।


६. अनुसूचित क्षेत्र भत्ते को यह दरें दिनांक 1 अगस्त 2003 (अर्थात माह अगस्त, 2003 का वेतन जो सितम्बर 2003 में देय है) से व्यावशाल होंगे।

७. यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय अनुसूचित क्षेत्र भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वैकृत बजट ग्रावधान के अधिक न हो।

८. अनुसूचित क्षेत्र भत्ते में उपलब्ध अन्य सुविधायें घूर्वत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(पा.सो. वर्मा)
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


आदेश दस्तखत,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
दिनांक २२ सितम्बर, २००३
दिनांक २२ सितम्बर, २००३

परिषिक्त-२
विकास शेषण
प्रथम श्रेणी के विकास शेषण

क्र.	जिला	विकास शेषण
1	नंडला	मवड
2	डेडरो	बजाप

तीसरी श्रेणी के विकास शेषण

1	चत्तूल	भाभुर
2	नंडला	माहगाव
		दुवरा
		नारायणगंग
3	डेडरो	अमरपुर
		सन्दापुर
		कर्मजदा
4	छेटवाडा	हरड
		विठ्ठाळ
		नानिया
5	ज़ोधो	कुत्तमो
6	धार	गधवान
		उद्धो
		बालानर
7	आवुआ	जठांवाडा
		जांडवा
8	खट्गान	पगवानपुरा
9	वडवानो	चांदो

तीसरी श्रेणी के विकास शेषण

1	चत्तूल	चिच्चालो
2	हारागावाद	आठनर
3	रयापुर	बाडांगरी
4	तत्ताम	कसला
5	नंडला	कराहल
6	डेडरो	बाजना
7	बालायाट	बिठ्ठिया
8	तेवनो	निवास
9	छेटवाडा	बांजाडो
10	अन्धपुर	डेडरो
11	उमारया	शाहपुरा
12	धार	परसवाडा
13	आवुआ	बिरसा
14	खट्गान	कोइ
15	वडवानो	घसार

1	चत्तूल	जानड
2	डेडरो	जुम्पराजगढ़
3	तेवनो	पातो
4	छेटवाडा	नालछा
5	रयापुर	बाग
6	तत्ताम	निसत्पुर
7	नंडला	तिरला
8	चिच्चालो	धरमपुरो
9	आवुआ	राना
10	खट्गान	राणपुर
11	वडवानो	यादला
12	डेडरो	जोबट
13	जानड	उद्धपुर
14	जठांवाडा	नेयनगर
15	जांडवा	चामरा

1	चत्तूल	अरन्या
2	डेडरो	सांगोव
3	तेवनो	भाँकनगांच
4	छेटवाडा	गांगाला
5	वडवानो	पानसमल
6	जानड	राजपर

(८५)